न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 04/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हरलाल विश्नोई पुत्र रामरख जाति विश्नोई निवासी चारणो की ढाणी, मालो की ढाणी रेण तहसील मेडता जिला नागौर 2 गणपतराम बेडा पुत्र हेमाराम बेडा जाति जाट निवासी बस स्टेण्ड रेण तहसील मेडता जिला नागौर 3 जेठाराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी नायको का बास रेण, तहसील मेडता जिला नागौर 4 अलारख पुत्र नाथुखां जाति मुसलमान तेली निवासी सिरासना रोड रेण तहसील मेडता जिला नागौर 5 सुखदेवसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी दरोगो का बास रेण, तहसील मेडता जिला नागौर		1 देवप्रतापसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी रेण, तहसील मेडता जिला नागौर 2 तहसीलदार मेडता, तहसील मेडता जिला नागौर। 3 युको बैंक शाखा रेण, जरिये शाखा मैनेजर युको बैंक शाखा रेण, तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री कन्हैयालाल सुथार अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

3– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 की ओर से।

आदेश

दिनांक 07.01.2025

1 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रेण के गत खसरा नं. 1650 रकबा 825.3 बीघा गै.मु. अंगौर/गोचर में से रकबा 5.15 बीघा भूमि वाके मौजा रेण तहसील मेडता जो अप्रार्थी संख्या 01 देवप्रतापसिंह के पक्ष में हुए नियमन/आंवटन/डिक्री/ऑडर/स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1685, हाल खसरा नम्बर 196 रकबा 0.9300 हैक्ट. यानि 5.15 बीघा भूमि की खातेदारी में दर्ज हो रखे है, को निरस्त करवाए जाने को लेकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

2 प्रार्थीगण का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने रेफरेन्स के समर्थन में ग्राम रेण के नामान्तरकरण संख्या 1685 की फोटोप्रति, तहसीलदार मेडता के पत्र दिनांक 10.05.23 की प्रति, मौजा रेण के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, मौजा रेण की जमाबंदी सम्वत् 2016 से 19, 2020 से 23, 2024 से 27, 2028 से 31, 2032 से 35, 2039 से 42 की फोटोप्रति, मौजा रेण के नक्शा–4 की फोटोप्रतियां तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने मौजा रेण की खतौनी सम्वत् 2008 से 2027 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मौजा रेण की लिखत की फोटोप्रति, गौचर के सिलालेख की फोटोप्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता के प्रकरण संख्या 181/1964 की फोटोप्रति पेश की गई है।

3 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा तर्क दिया कि -

3(1) प्रार्थीगण ग्राम रेण, तहसील मेडता जिला नागौर के स्थायी निवासी है तथा काश्तकार और पशुपालक है। मौजा रेण तहसील मेडता जिला नागौर के गत खसरा नम्बर 1650 रकबा 528.3 बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगौर राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज रिकॉर्ड थी। इस भूमि में सदियों से नाडी/तालाब है और इस भूमि अंगौर से बरसात का पानी बह कर नाडी/तालाब में आता है तथा पानी आने के लिए वर्षों से नहर भी बनाई हुई है जिससे तालाब/नाडी में पानी का बहाव आता है। प्रार्थीगण व

07/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

दीगर ग्रामवासी लोग इस अंगौर भूमि में बनी नाडी/तालाब में पशुओं को पानी पिलाते है तथा पानी पीने के लिए ले जाते है और वन्य पशु पक्षी, जानवर भी इस अंगौर में चरते है और पानी पीते है तथा इस भूमि में बने तालाब/नाडी की पाल के पास सदियों पुरानी बगीची, माताजी का मंदिर व रामद्वारा तथा शिवजी का मंदिर और श्मशान भूमि भी है। इस प्रकार से उक्त अंगौर भूमि व उसमें बने नाडी/तालाब का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का व दीगर ग्रामवासियों के हित इस अंगौर भूमि व इसमें बने नाडी/तालाब से जुडे हुए है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है ऐसे में प्रार्थीगण प्रभावित व व्यथित पक्षकार है।

3(2) मौजा रेण तहसील मेडता के साबिका खसरा नम्बर 1650 रकबा 528.3 बीघा भूमि गैर मुमकिन अंगौर राज. सरकार के खाते में दर्ज रिकॉर्ड थी, जो मौजा रेण की जमाबंदी संवत 2016 से 2019 व जमाबंदी संवत 2020 से 2023 में किस्म गैर मुमकिन अंगौर दर्ज रिकॉर्ड थी तथा जमाबंदी संवत 2024 से 2027 तथा जमाबंदी संवत 2028 से 2031 व संवत 2032 से 2035 में गैर मुमकिन गोचर भूमि राजस्थान सरकार दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थीगण द्वारा कार्यालय तहसीलदार भू. अभिलेख मेडता से खतौनी संवत 2013 से 2023 तक की नकल मांगी गई, जिसका लेटर इस आशय का प्राप्त हुआ कि जमाबंदी चौसाला जीर्णशीर्ण फटा होने से उक्त नकल इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा म्यूटेशन संख्या 1685 की प्रमाणित प्रति दिनांक 10.05.2023 को दिलाई गयी। असल भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन अंगौर था। चूंकि खसरा भूमि में सदियों से नाडी/तालाब है और इस अंगौर भूमि से पानी का बहाव होकर तालाब में आता था व आता है।

3(3) संवत् 2032 से 2035 के बाद मे जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में उक्त खसरा नम्बर 1650 रकबा 528.3 बीघा में से रकबा 5.15 बीघा भूमि जरिये नियमन/आंवटन/डिक्री/ऑर्डर से उपखण्ड अधिकारी मेडता जिला नागौर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 देवप्रतापसिंह पुत्र फतेहसिंह कॉम राजपूत निवासी रेण तहसील मेडता के नाम म्यूटेशन संख्या 1685 मौजा रेण तहसील मेडता दर्ज कर दिया गया। जिससे जमाबंदी संवत 2039 से 2042 में राजस्थान सरकार के खाता में खसरा नम्बर 1650 रकबा 522.8 बीघा दर्ज किया गया। खतौनी सम्वत 2039 से 42 में अप्रार्थी संख्या 1 देवप्रतापसिह पुत्र फतेहसिंह राजपूत निवासी रेण के खातें में खसरा नम्बर 1650 रकबा 5.15 बीघा दर्ज कर दिया गया। यह भूमि राजस्थान सरकार के खातें अंगौर/गौचर की भूमि रही है।

3(4) उक्त भूमि जिसकी किस्म अंगौर है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ऐसी भूमियों पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकारी उद्वभूत नहीं किये जा सकते है तथा ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के तहत नियमन/आंवटन/डिक्री/ऑर्डर से खातेदारी दिये जाने से प्रतिबंधित है तथा उक्त धारा में वर्जित श्रेणी में आने के कारण नियमन/आंवटन योग्य नहीं थी न है तथा किसी व्यक्ति के गैर खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। एस.डी.ओ. मेडता का हर आदेश/निर्णय/नियमन/आंवटन/म्यूटेशन संख्या 1685 मौजा रेण जमाबंदी चौसाला संवत 2036 से 2039 अथवा 2039 से 2042 नियमों के विपरीत भूमि किस्म अंगौर/गौचर की किस्म बदलते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है तथा ऐसे तमाम इन्द्राजात समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व है एवं शुरू से ही शून्य प्रभाव रखती है।

3(5) एस.डी.ओ. मेडता के आदेश/नियमन/आवंटन/डिक्री के अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नहीं था। अप्रार्थी की खातेदारी में खतौनी संवत 2039 से 2042 मे केलकुलेशन अनुसार 159.5 बीघा भूमि इसकी खातेदारी में दर्ज थी, जिससे अप्रार्थी नियमन/आवंटन का पात्र भी नहीं था और अंगौर भूमि का नियमन/आंवटन नहीं किया जा सकता था।

3(6) राजस्व रेकर्ड/अधिकार अभिलेखों के ग्राम रेण तहसील मेडता जिला नागौर में स्थित गत खसरा नम्बर 1650 रकबा 528.3 बीघा में से 5.15 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को नियमन/आंवटन/डिक्री/ऑर्डर अथवा तरीके का फर्जीवाडा करके इन्द्राज किया गया है, उसे निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। उक्त प्रकार के विधि विरूद्व है। गैर मुमकिन अंगौर/गौचर पर खातेदारी कर दी गयी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जिससे उक्त प्रकार के इन्द्राजात तमाम कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका रिट याचिका संख्या 1536/03 बअनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त विधि विरूद्व खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाने आवश्यक व न्याय संगत है तथा विवादित भूमि सिवाय चक भूमि किस्म गैर मुमकिन अंगौर/गौचर दर्ज किया जावे।

07/11/24

अपर कलक्टर, नागौर

3(7) एस.डी.ओ. मेडता ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम/आवंटन किया है, जो विधि की दृष्टि में शून्य प्रभावी है।

3(8) उक्त अंगौर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 को दिये जाने से पूर्व गांव वालों को ग्राम पंचायत को एवं राजस्थान सरकार को भी सुने बिना ही इन्द्राजात की तहरीर जारी करने में एस.डी.ओ. मेडता ने भारी अनियमितता की है। अंगोर भूमि जिसमें नाडी/तालाब स्थित है, अंगौर भूमि में पानी का बहाव बहकर तालाब/नाडी में आता है, आदि प्रकार की तमाम भूमियां राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आंवटन/नियमन के मार्फत खातेदारी दिया जाना नियम विरूद्व है।

3(9) जमाबंदी सम्वत 2076 में खसरा नम्बर 1650 की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 196 रकबा 0.9300 हैक्टेयर बारानी प्रथम अप्रार्थी संख्या 1 देवप्रतापसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी रेण के नाम खातेदारी में दर्ज है जो गलत है व विधि विरूद्व है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018(1) पेज 186 से 188 तक नजीर पेश की।

4 अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि–

4(1) ग्राम रेण के पूर्व जागीरदार फतेहसिंह पुत्र जौरावर सिंह थे। अप्रार्थी देवप्रतापसिंह उनका लडका है। साबिक खसरा नबर 1650 रकबा 528 बीघा 3 बिस्वा मौजा रेण फतेहसिंह पुत्र जोरावर सिंह की खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि रही थी, जिसका इन्द्राज खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 से 2027 में इन्द्राज खातेदारी की भूमि रही है तथा इस भूमि की किस्म जमीन बाराणी चारम रहा था। उक्त भूमि के बाबत् पेमाईशकर्ताओं ने दिनांक 11.12.1956 को खतौनी के पैरा संख्या 13 में नोट लगाया कि भू प्रबंधक आयुक्त महोदय जयपुर की आज्ञा से खसरा नम्बर 1650 इन्द्राज जागीरखुद काश्त की बजाय अंगोर जागीर गैर मुमकिन का इन्द्राज किया गया, यह इन्द्राज पूर्ण रूप से गलत व विधि विरूद्व रहता था, इसके विरूद्व फतेसिंह द्वारा ऐतराज जताया गया, तब गांव के लोग इक्कठे हुए एवं फतेसिंह से निवेदन किया कि यह भूमि आप हम ग्रामवासियों के निवेदन पर गोचर कर दिरावें, तब फतेहसिंह ने ग्रामवासियों के निवेदन पर खसरा नम्बर 1650 की 522.8 भूमि गौचर के लिए ग्राम पंचायत को सौंपना स्वीकार किया व समर्पण कर दिया शेष 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्वयं के पास लाटे आदि के रख ली थी। परंतु भू प्रबंध आयुक्त जयपुर के आदेश से अंगोर पूरी भूमि के बाबत नोट लगा होने से पूरी भूमि को आगे गौचर दर्ज कर दिया, यह भी इन्द्राज त्रुटि पूर्ण था, क्योंकि गौचर के लिए खसरा नम्बर 1650 की 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि छोडकर शेष भूमि समर्पण कर दी थी। ऐसी दशा में गलत इन्द्राज आंगोर था को बाद समर्पण गोचर दर्ज की गई थी। 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि लाटो के लिए खुद के पास रखी थी परंतु राजस्व रेकर्ड में हाल पेमाईश के वक्त गलती से खसरा नम्बर 1650 की सम्पूर्ण भूमि 528.3 बीघा पहले अंगोर फिर गौचर दर्ज कर दिया था, जबकि 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा फतेहसिंह का था, उनके गुजरने के बाद उनके पुत्र देवप्रतापसिंह अप्रार्थी के पास ही रहता चला आया था।

4(2) राजस्व रेकर्ड में हाल पेमाईश के दौरान गलत इन्द्राजी की जानकारी होने पर अप्रार्थी देवप्रतापसिंह ने सहायक कलक्टर मेडता के समक्ष वाद पेश कर इस्तदुआ की कि खसरा नम्बर 1650 की 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि उनके कब्जा व खातेदारी की है, जो खातेदारी की घोषित कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। उक्त वाद संख्या 181/1974 दिनांक 22.08.1975 को स्वीकार कर डिक्री किया गया, उसकी पालना में खसरा नम्बर 1650 की 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम घोषित कर खातेदारी में दर्ज की गई थी। वादग्रस्त भूमि न तो आवंटित, नियमन हुई है न ऐसे कोई आदेश हुआ है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की खुदकाश्त की खातेदारी की भूमि किस्म बाराणी चारम थी। उसको पेमाईशकर्ताओं ने गलत तरीके से अंगौर/गौचर दर्ज कर सरकार खाते में दर्ज की थी, ऐसा परिवर्तन करने की पेमाईशकर्ताओं को कोई हक अधिकार नहीं था। पेमाईशकर्ताओं द्वारा किया गया किस्म परिवर्तन व सरकार के खाते में इन्द्राज विधि विरूद्व शून्य प्रभावी था व है। ऐसी दशा में अपनी खातेदारी की भूमि को वारिस अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम की घोषित करवाकर खातेदारी में दर्ज करवायी है, जो कानूनी रूप से सही व विधि सम्मत है। हस्तगत रेफरेंस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2021(2) पेज नम्बर 1295 से 1296, आरआरटी 2021(1) पेज नम्बर 219 से 223, आरआरडी 1969 पेज नम्बर 231 से 234, आरआरटी 2018–19 (Supp.) पेज नम्बर 593 से 596, आरआरटी 2007(1) पेज नम्बर 717 से 720, आरआरटी 2019(1) पेज नम्बर 29 से 32 तब नजीरे पेश की।

07/11/24

अपर कलक्टर, नागौर

5 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर मेडता के वाद संख्या 181/1974 दिनांक 22.08.1975 में पारित डिक्री की पालना में मौजा रेण के खसरा नम्बर 1650 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1685 अप्रार्थी संख्या 01 के नाम स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी ने भी ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/आदेश न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर मेडता के वाद संख्या 181/1974 में पारित आदेश आज दिन प्रभावी नहीं हो? अतः न्यायालय सहायक कलक्टर मेडता के वाद संख्या 181/1974 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.1975 आज दिन प्रभावी होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण न्ययालय सहायक कलक्टर मेडता के वाद संख्या 181/1974 में पारित निर्णय सें असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने को स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर मेडता के निर्णय दिनांक 22.08.1975 की पालना में भरे गये नामान्तरकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रेफरेंस आवेदन विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(6) उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(7) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/11/25

(चम्पालाल जीनगर)
RAS
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर